न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), अभनपुर, जिला रायपुर, छ०ग०

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202511111 00078 अ/62 वर्ष 2025–26

शासन

विरूद्ध

श्री निर्मल साहू पिता स्व. श्री मानसिंग साहू
निवासी आदर्श कालोनी शीतला पारा
गोबरा नवापारा तहसील गोबरा नवापारा
जिला रायपुर छ०ग०

............अनावेदक

//आदेश//
(पारित दिनांक 30/10/2025)

न्यायालय तहसीलदार गोबरा नवापारा के ज्ञापन क्रमांक 32/तह0/वाचक–2/2022 दिनांक 20/06/2025 के माध्यम से ग्राम सोनेसिल्ली प०ह०नं० 17 तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर में लकडी के अवैध भण्डारण के संबंध में दिनांक 19.06.2025 को आकस्मिक जांच किया गया हैं। जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम सोनेसिल्ली प०ह०नं० 17 रा०नि०म० नवापारा तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर स्थित भूमि ख०नं० 85/2 रकबा 0.30 हे० भूमिस्वामी अन्नपूर्णा देवांगन पति झुमुकलाल देवांगन निवासी गोबरा नवापारा के निजी भूमि में अवैध रूप से लकड़ी का भण्डारण किया जाना पाया गया। जिसमें अनुमानित संख्या (लगभग) में वृक्ष सो–बबुल का 13 वृक्ष, बबुल–53, कहुआ–87. निलगिरी–69, आम–11, करही–8, सिरसा 9. रिया (सफेद बबुल) 26 एवं नीम का 07 वृक्ष कुल 283 वृक्षों का कटाई कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया। मौके पर उपस्थित भूमिस्वामी के पुत्र दिनेश देवांगन के बताए अनुसार लकड़ी का भण्डारण श्री निर्मल कुसार साहू पिता स्व०श्री मानसिंग साहू निवासी आदर्श कालोनी शीतलापारा गोबरा नवापारा के द्वारा भूमि किराये पर लेकर किया गया है। उक्त जप्तशुदा लकडी को भूमिस्वामी के पुत्र दिनेश देवांगन के सुपुर्द में किया गया है। भण्डारणकर्ता श्री निर्मल कुसार साहू पिता स्व०श्री मानसिंग साहू निवासी आदर्श कालोनी शीतलापारा गोबरा नवापारां द्वारा लकड़ी के भण्डारण के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचनामा एवं जप्तीनामा/सुपुर्दनामा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण प्रारंभ किया गया।

प्रकरण दर्ज कर अनावेदक को छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं सहपठित धारा 253 के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस कमांक 211/वाचक/अविअ/2025 दिनांक 04.07.2025 जारी कर जवाब प्राप्त किया गया। अनावेदक ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम सोनेसिल्ली प.ह.नं. 17 तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर में लकड़ी के अवैध भण्डारण के संबंध में दिनांक 19.06.2025 को आकस्मिक जांच किया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम सोनेसिल्ली प.ह.नं. 17 रा. नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अभनपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

नवापारा जिला रायपुर स्थित भूमि सा.नं. 86/2 रकबा 0.30 है. भूमिस्वामी अन्नपूर्णा देवांगन पति झुमुकलाल देवांगन निवासी गोबरा नवापारा के निजी भूमि में अवैध रूप से लकड़ी का भण्डारण किया जाना पाया गया। जिसमें अनुमानित संख्या (लगभग) में वृक्ष सो–बबूल का 13 वृक्ष, बबूल–63, कहुआ–07, निलगिरी–69, आम–11, करही–8, सिरसा 9, रिया, (सफेद बबूल)–26 एवं नीम का 07 वृक्ष कुल 203 वृक्षों का कटाई कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया। मौके पर उपस्थित भूमिस्वामी के पुत्र दिनेश देवांगन के बताए अनुसार लकड़ी का भण्डारण श्री निर्मल कुमार साहू पिता स्व. श्री मानसिंग साहू निवासी आदर्श कालोनी शीतलापारा गोबरा नवापारा के द्वारा भूमि किराये पर लेकर किया गया है। उक्त संबंध में जवाब प्रस्तुत करने हेतु उक्त स्थल पर भण्डारित काष्ठ सू–बबूल 13 वृक्ष, बबूल 63, कहुआ 87, निलगिरी 69, आम 11, करही 8, सिरसा 9, रियाँ (सफेद बबूल) 26, एवं नीम 07 वृक्ष मौके पर कुल 203 नग वृक्ष जो कि कटाई कर भण्डारित किया गया है। वह अनेक छोटे–छोटे किसानों से राजस्व (लगानी) भूमि पर लगाये गये वृक्ष जो कि विगत दिनों आंधी–तुफान में गिरे हुए थे उसे भण्डारित किया गया है। उक्त काष्ठ कृषकों के खेतो के मेढ़ने पर उगे हुए थे जो कि अधिक बड़े आकार के होने के कारण, धान के फसलो का उपज को प्रभावित करते थे। जिसे की किसानों के द्वारा काष्ठ को काटकर लाया गया है। उक्त मिश्रित प्रजाति के काष्ठ का भण्डारण करने का पंचनामा बनाया गया है। जिसमें बबूल, बबूल, रीया, निलगिरी, करही, सिरसा के काष्ठछ.ग. शासन वन विभाग के निस्तार पत्रक में अभिवहन पास की अनुमति से मुक्त रखा गया है। किसानी कार्य में बाधा उत्पन्न होने से उक्त काष्ठ को काटकर किसानों द्वारा लाया गया है। उपरोक्त भण्डारित काष्ठ विभिन्न ग्राम पंचायत के खोली से प्राप्त काष्ठको उक्त स्थल पर यह कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पत्र क./ज.स./नस्ती क.187/933 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24.07.2023 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छतीसगढ अरण्य भवन सेक्टर 19, नार्थ ब्लाक नवा रायपुर अठल नगर से मांगी गयी जानकारी छ.ग. राज्य में राजस्व क्षेत्र में लगानी जमीनों में उगे वृक्षों के कटाई पर प्रतिबंधित प्रजाति की सूची जानकारी प्रस्तुत है। विभागीय जानकारी छ.ग. फारेस्ट मैनुअल में उल्लेख अनुसार छ.ग. शासन भू–राजस्व सहिता धारा 240 के नियम (3) में प्रतिबंधित (७) प्रजाति का विवरण (एक) आम (दो) जामुन, (तीन) इमली, (चार) महुआ (पाँच) चंदन (छ) साजूर को छोड़कर छिंद ताड़ एवं पाम की भी अन्य प्रजातियां, (सात) हर्रा (आठ) नीम एवं (नौ) कदम्ब। जिसमे इसके अलावा अन्य प्रजाति के वृक्षों को प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं रखा गया है।सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वृक्षों के कटाई के संबंध में वन विभाग द्वारा वृक्षों के कटाई पर प्रतिबंधित प्रजाति के सूची पत्र 5/14/उत्पाद/937/1211 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 17.08.2023 प्रस्तुत है। वन विभाग के द्वारा वृक्षों की कटाई प्रतिबंधित नहीं किया गया है। भू राजस्व सहिता के अंतर्गत धारा 240 तहत वक्षों के कुछ प्रजाति के कटाई प्रतिबंधित किया गया है। यह जानकरी प्राप्त हुई है। उपरोक्त काष्ठ छोटे–छोटे किसानों से प्राप्त किया गया है। जो कि वह वृक्ष है जिसमें किसानों को कृषि कार्य बाधा उत्पन्न कर धान फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर रहे थे एवं विगत दिनों

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जिला–रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

भयानक आंधी तुफान में गिरे हुए वृक्षों का भण्डारण मेरे द्वारा उक्त स्थल पर किया गया है उक्त वृक्ष प्रतिबंधित प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। जिसे वन विभाग द्वारा कटाई हेतु प्रतिबंधित किया गया है। अतः ग्राम सोनेसिल्ली तहसील गोबरा नवापारा प.ह.नं. 85/2 रकबा 0.30 हे. भूमि पर भण्डारित काष्ठ को बिना अर्थदण्ड लगाये मुक्त करने का प्रार्थना किया गया है।।

प्रकरण में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन, अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब, अनावेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, जवाब एवं अभिलेखों, से स्पष्ट है कि अनावेदक से जप्त सो–बबुल का 13 वृक्ष, बबुल–53, कहुआ–87, निलगिरी–69, आम–11, करही–8, सिरसा 9, रिया (सफेद बबुल) 26 एवं नीम का 07 वृक्ष कुल 283 वृक्षों को ग्रामीणों से क्रय कर संग्रहण कर रखे गए थे जिसकी पुष्टि पंचनामा प्रतिवेदन में भी की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनावेदगण द्वारा छ0ग0 भू–राजस्व संहिता की धारा 240, 253 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। वृक्ष कटाई के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं है, चूंकि अनावेदक के द्वारा लकड़ी के काष्ठ के भण्डारण के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, अतः भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 253 में देय प्रावधान अनुसार अनावेदक **श्री निर्मल साहू पिता स्व. श्री मानसिंग साहू निवासी आदर्श कालोनी शीतला पारा गोबरा नवापारा तहसील गोबरा नवापारा** को **राशि 30000/–रू. अक्षरी तीस हजार रूपये** की अर्थदण्ड से आरोपित किया जाता है। अनावेदक द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा कर दिये जाने के पश्चात जप्त अनुमानित संख्या **283 टुकड़ा लकड़ी** को सुपुर्ददार से अनावेदक **श्री निर्मल साहू पिता स्व. श्री मानसिंग साहू निवासी आदर्श कालोनी शीतला पारा गोबरा नवापारा तहसील गोबरा नवापारा** को दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार सुपुर्ददार एवं अनावेदक सूचित हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/10/2025 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी की जाती है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

(रवि सिंह)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अभनपुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अभनपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner